न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा

रा0वि0वाद सं0–13/2017–18

दीप नारायण सिंह

बनाम

पप्पु सिंह वगैरह

22/8/25

–: आदेश :–

वर्तमान वाद आवेदक दीपनारायण सिंह, पिता–स्व0 रामाधार सिंह, सा0–मालझकरा, थाना–मेहरमा, अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा का आवेदन जो माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार, राँची को संबोधित है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा से पत्रांक–71रे0मु0 दिनांक–24.04.2017 प्राप्त हुआ है के आधार पर प्रारंभ की गई। प्राप्त आवेदन में अंकित है कि मौजा–मालझकरा, दाग नं0–272, रकवा–05–09–09 धूर के अंदर रकवा–00–04–00 धूर जमीन पर विपक्षी बाजबरन अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तथा जान मारने की धमकी दिया जाता है। आवेदक अपनी जमीन एवं जान की रक्षा करने का अनुरोध करते हैं। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई तथा विपक्षी के विरूद्ध नोटिस निर्गत कर कारण–पृच्छा की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल आवेदन, कारण–पृच्छा एवं अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा मालझकरा, दाग नं0–272, रकवा–05–09–09 धूर जमीन गत गेंजर सर्वे पर्चा में सुकदेव सिंह, रामाधार सिंह व रामनगीना सिंह के नाम से दर्ज है। मौजा मालझकरा, दाग नं0–272, रकवा–05–09–09 धूर जमीन के अलावे और भी आवेदक के अंश की पैतृक सम्पत्ति मौजा मालझकरा में है जो आवेदक के दखल कब्जा में है। आवेदक के चचेरे भाई रामरतन सिंह ने अपने परिवार वाले से परामर्श कर अपने नीज अंश की जमीन मौजा मालझकरा, दाग नं0–272 की रकवा–05–09–09 धूर के अंतर्गत रकवा–00–04–00 धूर जमीन दान स्वरूप बसोबास हेतु दिया था। उक्त भूमि पर आवेदक अपना घर बनाकर बसोबास करने लगे। प्रश्नगत भूमि अपने चचेरे भतीजा पप्पु सिंह व निरंजन उर्फ फोनू सिंह को देख–रेख करने हेतु देकर ओवदक व्यवसाय हेतु ग्राम–लालमटिया, पो0–तालझारी, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज झारखण्ड में आकर बस गये हैं। परंतु विपक्षी के द्वारा पैत्रिक सम्पत्ति का उपज आवेदक को नहीं दिया तो आवेदक ने उक्त भूमि विपक्षी से छुड़ाकर गांव के अन्य व्यक्तियों को दे दिया। आवेदक की जमीन पर विपक्षी जबरन पानी टंकी/पानी टावर बनाने लगे जो कि गलत व अवैध है। आवेदक की अनुपस्थिति में प्रश्नगत भूमि पर बांस–टाटी का झोपड़ी खड़ा कर दिया है। अंत में अनुरोध करते हैं कि उनके जमीन की रक्षा की जाय।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का आवेदन अस्पष्ट है तथा विपक्षी आवेदक का अपना भतीजा है। आवेदक दीपनारायण सिंह आज से लगभग 30 साल पहले ग्राम लालमाटी, पो0–तालझारी, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज में निवास

करते हैं। वर्तमान समय में आवेदक पुरानी बातों को लेकर विपक्षी के उपर वर्तमान वाद दायर किया है। आवेदक का मालझकरा में कुछ नहीं है। विपक्षी का आरोप बिल्कुल ही असत्य है। रामरतन सिंह को पुत्र है। राम रतन सिंह ने प्रश्नगत भूमि दान में नहीं दिया है। प्रश्नगत भूमि विपक्षी के पिताजी स्व0 रामाधार सिंह ने अपने जीवनकाल में ही स्व0 राम रतन सिंह से लिए थे। प्रश्नगत भूमि पर आवेदक एवं विपक्षी दोनों जोत–आबाद करते हैं। अंत में अनुरोध करते हैं कि आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया जाय।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने पत्रांक–454/रा0, दिनांक–14.08.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा माल झकरा, थाना नं0–81, जमाबंदी नं0–35 का कुल रकवा–28–04–09 धूर जमीन गत गेंजर सर्वे पर्चा में सुखदेव सिंह वो रामाधार सिंह वो राम नगीना सिंह पेसरान गुरू गोविंद सिंह कौम राजपुत सा0–देह के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि का दाग नं0–272 के अंतर्गत पड़ने वाली भूमि जिसका रकवा–00–04–00 धूर जमीन किस्म धानी औवल बोलकर पर्चे में दर्ज है। इसी भूमि को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमाबंदी रैयतों के वारिशानों के बीच विवाद है। प्रश्नगत भूमि पर पूर्व से मकान का पक्की संरचना कुर्सी तक बना हुआ है जो प्रथम पक्ष दिपनारायण सिंह को 19.08.1984 में दान स्वरूप राम रतन सिंह से प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष के दखल कब्जे में है। दोनों पक्ष जमाबंदी रैयत के वारिशान हैं। विपक्षी का प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गत गेंजर पर्चा में मौजा माल झकरा, थाना नं0–81, जमाबंदी नं0–35 का कुल रकवा–28–04–09 धूर जमीन गत गेंजर सर्वे पर्चा में सुखदेव सिंह वो रामाधार सिंह वो राम नगीना सिंह पेसरान गुरू गोविंद सिंह कौम राजपुत सा0–देह के नाम से दर्ज है। प्रश्नगत भूमि आवेदक ने जमाबंदी रैयत के पुत्र राम रतन सिंह से दान स्वरूप में प्राप्त किया है तथा उस पर दखलकार हैं। उभय पक्ष जमाबंदी रैयत के वारिशान है। विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वे आवेदक के दखल कब्जे में विवाद उत्पन्न नहीं करें। क्षुब्ध पक्ष अपने बंटवारे हेतु सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यो से संतुष्ट होकर वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

21/8/25

अनुमण्डल पदाधिकारी,
महागामा।

21/8/25

अनुमण्डल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.10.15 15:54:07 +05:30
Location: 192.168.72.148